

6 निर्दिष्ट
20/11/18

फर्द अहकाम

(नियम 13)

24/9/18
11/10/18
22/10/18
29/10/18
20/11/18

अज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम





श्री. भूरा राम

हलका गौलिया जीवराज

पुत्र श्री. दुर्गा राम जाति काली

निवासी- गौलिया जीवराज

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 06 वर्ष 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
05/9/18	<p>पटवारी हलका गौलिया जीवराज ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2025 में मौजा गौलिया जीवराज के खसरा नंबर 02 रकबा 01-00 बीघा किस्म भूमि क.स. मु. गौलिया पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24/9/18 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p> तहसीलदार सिणधरी</p>	
24/9/18	<p>पत्रावली आण प्रस्तुत हुई और साक्ष्य भूरा राम एवं पटवारी द्वारा उपस्थित और साक्ष्य ने अतिक्रमण हटाने हेतु साक्ष्य याही है। अतः पत्रावली आर्डर दिनांक 11/10/18 को बमुकाम गौलिया जीवराज प्रस्तुत है।</p> <p> तहसीलदार सिणधरी</p>	<p> भूरा राम</p> <p> प्रजो/जीवराज</p>

R.C.M.S


2018/00017

218

पत्रावली आज पेश हुई। गैर साफल उपस्थित पत्रवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पत्रवारी हल्का की रिपोर्ट का स्वरूप किताब कर पत्रावली डिमांक 20211218 को पेश है।




शुभम


तहसीलदार सिणधरी

2011118


पत्रावली आज पेश हुई। गैर साफल उपस्थित पत्रवारी हल्का उपस्थित। गैर साफल द्वारा अतिरिक्त गैर शक्ति के अतिरिक्त होने संबंधी रिपोर्ट पत्रवारी हल्का से प्राप्त हुई। फसला मलगा से लिखा जाकर सुलेन्यामलगा में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किताब का पत्रावली फसल सुमार होकर नंबर से कम होकर डारिबल डफलर है।



शुभम


तहसीलदार सिणधरी

2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 क
पर क्र.सं. 12 पर जुमाना/फसल
निलामी सं. 501 की मांग दर्ज की गई।


तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी